रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235236
CG-DL-E-20042022-235236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2022/चैत्र 29, 1944
No. 203] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2022/CHAITRA 29, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

फा.सं. 11–1/2022–आईएनसीः–समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् विनियम, 2009 में आगे और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः–

1. ये विनियम **भारतीय उपचर्या परिषद् (संशोधन) विनियम, 2022** कहलाएंगे।
2. ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
3. भारतीय उपचर्या परिषद् विनियम, 2009 के भाग-IX में, निम्नलिखित को विनियम 76 के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''76. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शर्तें तथा परीक्षा मानकः–

(1) संबंधित प्रत्येक राज्य परिचर्या परिषद्/विश्वविद्यालय/परीक्षा निकाय/बोर्ड (जैसा भी मामला हो) द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि और परीक्षा संचालन की निर्दिष्ट तिथि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए भारतीय परिचर्या परिषद् द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(2) परीक्षा निकायों के रूप में संबंधित प्रत्येक राज्य उपचर्या परिषद्/विश्वविद्यालय/बोर्ड उप–विनियम (1) के तहत भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा जारी अधिसूचनाओं का पालन करेगा।

(3) इस विनियम के लागू होने की तिथि पर अधिनियम के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त योग्यता/उच्च योग्यता की निरंतर पेशकश बनाए रखने के लिए संबंधित प्रत्येक राज्य उपचर्या परिषद्/विश्वविद्यालय/परीक्षा निकाय/बोर्ड, परीक्षा मानक तथा मानक पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए, नर्सों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित नैदानिक, शैक्षणिक तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की सुनिश्चितता करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम तथा विनियमों का पालन करेगा।''

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./09/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2022

F.No. 11-1/2022-INC:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947) as amended from time to time, the Indian Nursing Council hereby makes the following regulations to further amend the Indian Nursing Council Regulations, 2009, namely:—

1. These Regulations may be called the **Indian Nursing Council (Amendment) Regulations, 2022**.
2. These Regulations shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette of India.
3. In the Indian Nursing Council Regulations, 2009, in Part-IX, the following shall be added as regulation 76, namely:—

"76. Conditions for admissions to courses and standards of examination:—

(1) The Indian Nursing Council shall notify the last date of admission to all the courses and cut-off date for conduct of examinations, for each academic year, to be conducted by State Nursing Councils/Universities/ Examining Bodies/Board concerned, as the case may be.

(2) Every State Nursing Council/University/Board concerned as examining bodies shall abide by the notifications issued by the Indian Nursing Council under sub-regulation (1).

(3) Every State Nursing Council/University/Examining Bodies/Board concerned for continued offering of any recognised qualification/higher qualification under the Act on the date of coming in force of this regulations shall follow the syllabus and the regulations framed by the Indian Nursing Council for maintaining the standards of examination and standard curricula for training of nurses by ascertaining prescribed clinical, teaching and infrastructural facility."

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./09/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.20 16:11:28 +05'30'